

20.07.21

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता रेस्यो० उप० अधिवक्ता
अपीलाट की मूल्य से चुकी है। अधिवक्ता रेस्यो०
ने अवगत कराया कि अधिनस्थ न्यायालय में
अंश 212 RTA का निस्तारण हो
चुका है। इसलिये अपील पत्रावली प्रभाव हीन
से चुकी है। पत्रावली (अपील) को प्रभाव हीन में
स्वार्जिज किया जावे समर्थन में अधिनस्थ न्याया
के निर्णय दि. 14.6.17 की प्रमाणित प्रति पेश की।
अतः पत्रावली प्रभाव हीन में स्वार्जिज की जागी
है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम
की जावे, बाद जाता दारबिल दफ्तर से

